

FROM No.III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कोर्ट.....मुकाम (500) कापूर.....

.....जोगाराम.....बनाम.....सागरराज वगैरा.....

किस्म मुकदमा.....रा. आवेदन 111, 128 RLR नं. 278/2020 सन् 2020.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>श्रेयस कुमार चौरा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/10/2020</u> को पेश हो।  उपरोक्त हुक्म कार्यवाही के लिये दिल्ली नगर	
14/10/2020	पत्रावली 02/12/2020 को पेश की। हुक्मकार महोदय को हुक्म कार्यवाही के लिये नोटिस दिया गया। हुक्मकार महोदय इसका जवाब दिनांक <u>02/12/2020</u> पेश करें। <u>2</u>	
02/12/2020	पत्रावली 09/02/2021 को पेश की। हुक्मकार महोदय को हुक्म कार्यवाही के लिये नोटिस दिया गया। हुक्मकार महोदय इसका जवाब दिनांक <u>09/02/2021</u> पेश करें। <u>2</u>	
09/02/2021	पत्रावली 22/06/2021 को पेश की। हुक्मकार महोदय को हुक्म कार्यवाही के लिये नोटिस दिया गया। हुक्मकार महोदय इसका जवाब दिनांक <u>22/06/2021</u> पेश करें। <u>2</u>	

22/06/2021

प्राची वहील उपाधिकृत / विप्राधीगणों के  
नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मित्रवाणे  
गणने जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।  
इत्तजार डोकर पत्रावली दिनांक - 14/09/2021 को पेश हो।

14/09/2021

प्राची वहील उपाधिकृत / विप्राधीगणों के  
नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मित्रवाणे  
गणने जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।  
इत्तजार डोकर पत्रावली दिनांक - 01/12/2021 को पेश हो।

01/12/2021

प्राची वहील उपाधिकृत / विप्राधीगणों के  
नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मित्रवाणे  
गणने जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।  
इत्तजार डोकर पत्रावली दिनांक - 22/03/2022 को पेश हो।

22/03/2022

प्राची वहील उपाधिकृत / विप्राधीगणों के  
नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मित्रवाणे  
गणने जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।  
इत्तजार डोकर पत्रावली दिनांक - 27/04/2022 को पेश हो।

27/04/2022

प्राची वहील उपाधिकृत / विप्राधीगणों के  
नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मित्रवाणे  
गणने जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।  
इत्तजार डोकर पत्रावली दिनांक - 23/05/2022 को पेश हो।

उपसंग्रह अधिकारी नायब  
जिला-वाडवेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेरे) मुकाम बायतु

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल द्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
बाडमेरे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक उद 2022 763

प्रार्थी

बनाम

दिनांक 23/05/2022

विप्रार्थीगण

जोगाराम पुत्र मदरूपाराम वगैरा 03,  
जाति जाट, निवासी रतेऊ,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. सगराराम पुत्र हरखाराम वगैरा 16,  
जाति जाट, निवासी रतेऊ,  
पटवार मण्डल रतेऊ,  
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 278/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - रतेऊ, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 764/25, 774/32 रकबा क्रमशः 21.0000, 20.1100 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/764-768

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र मदरूपाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री सगराराम पुत्र हरखाराम वगैरा 16,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर